ए मैमूना

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

16 दिसम्बर 2005

[एस.बी.सिन्हा और पी.के. बालासुब्रमण्यम एएन, जे.जे.]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980-धारा 3(2)-हिरासत आदेश-हिरासत का मामला कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए गए अभ्यावेदन पर विचार न करने और पर्याप्त सामग्री की अनुपलब्धता के कारण नजरबंदी आदेश निष्प्रभावी हो गया-माना गया: हिरासत का आदेश उचित था क्योंकि हिरासत के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी - यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था, हालांकि केंद्र सरकार को दिए गए प्रतिनिधित्व पर बिना देरी के विचार किया गया था - इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं है .

अपीलकर्ता के पति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिए गए जांच और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बयान के आधार पर कि वह एक आतंकवादी संगठन का सक्रिय

सदस्य था, हिरासत आदेश पारित किया गया था। अपीलकर्ता - बंदी की पत्नी ने बंदी द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और मंत्रालय को दिए गए अभ्यावेदन पर विचार न करने और बंदी को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सामग्री की अनुपलब्धता के आधार पर नजरबंदी आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने हिरासत आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने नजरबंदी आदेश से पहले राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भी प्रतिनिधित्व दिया था; और हिरासत आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता- बंदी की पत्नी ने जवाबी हलफनामे में अपना तर्क दोहराया कि बंदी की ओर से किया गया अभ्यावेदन एक वकील के माध्यम से 4.7.2005 को गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया था और चूंकि यह तमिल में था, इसलिए इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भेजा गया था और इसे प्राप्त करने पर, विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार किया गया था, और अंततः गृह सचिव ने 22.7.2005 को बंदी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया और इसके बाद, निर्णय के बारे में बंदी को सूचित कर दिया गया और इस प्रकार अभ्यावेदन पर विचार करने में कोई अस्पष्ट देरी नहीं हुई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए माना:

मामले की परिस्थितियों में, बंदी की ओर से किए गए अभ्यावेदन के निपटान में केंद्र सरकार की ओर से कोई अस्पष्ट देरी या अनुचित देरी नहीं हुई है। एक वकील के माध्यम से मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन तमिल में था, इसे अनुवादित करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भेज दिया गया था और जैसे ही अनुवाद प्राप्त हुआ, अभ्यावेदन पर बिना किसी देरी के विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और उसका कानून के अनुसार निस्तारण किया गया। इसके अलावा, अपीलकर्ता - बंदी की पत्नी ने स्वीकार किया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि हिरासत प्राधिकारी द्वारा हिरासत आदेश पर विचार करने से पहले राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी, और इस प्रकार हिरासत का आदेश उचित था और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (880-ए-जी; 881-ए-बी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

आपराधिक अपील संख्या 1673/2005

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.7.2005 से

एच.सी.पी.सं. 89/2005.

साथ

सी.आर.एल.ए. क्रमांक 1675 /2005

अपीलार्थी की ओर से वी.जी.प्रगासम।

उत्तरदाताओं के लिए बी.आर.हांडा और एस. बालकृष्ण, नवीन प्रकाश, सुश्री सुषमा सूरी, एस.एन.झा, के..के.मिश्रा और सुब्रमण्यम प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**पी.के.बालासुब्रमण्य एएन, जे.**

सीआरएल.ए एन_ओ. 1673/2005 @.एस.एल.पी. (सीआरएल.)

क्रमांक 4441/2005 ·

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 89/50 में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2) के तहत अपने पति की हिरासत को चुनौती दी। दोनों पक्षों को

सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उक्त याचिका खारिज कर दी। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

3. एक कथित अपराध की जांच के दौरान नेल्लीकुप्पम पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गोपालकृष्ण की रिपोर्ट पर अपीलकर्ता के पति को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ करने पर, अपीलकर्ता के पति अब्दुल कादर ने एक बयान दिया जिससे पता चला कि वह एक आतंकवादी संगठन "विदियल वेल्ली" का सक्रिय सदस्य था। यह भी पाया गया कि वह उस संगठन और अल-उम्मा और सिमी जैसे अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से शामिल था, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जांच से सामने आए तथ्यों के आलोक में और अब्दुल कादर के बयान के मद्देनजर, अपीलकर्ता के पति को हिरासत में लेने के लिए हिरासत प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए, यह तर्क दिया गया कि हिरासत के आदेश को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि हिरासत आदेश से पहले दिए गए अभ्यावेदन पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था और जिसने हिरासत के विवादित आदेश को दूषित कर दिया। दूसरे, हालांकि गृह मंत्रालय को

एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया और तीसरा, हिरासत के आधार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाते हैं। राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा हिरासत के आदेश से पहले कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और इसलिए, हिरासत के आदेश को रद्द करने वाले ऐसे प्रतिनिधित्व पर विचार न करने का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक गृह मंत्रालय को दिए गए अभ्यावेदन का संबंध है, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि हिरासत का आदेश पारित होने से पहले या उसके तुरंत बाद ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया गया था। गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि मामले की परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी।

4. उच्च न्यायालय ने पाया कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने वास्तव में हिरासत के आदेश से पहले राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था और आदेश को इस आधार पर ख़राब नहीं माना जा सकता कि राज्य सरकार ने अभ्यावेदन का निपटारा नहीं किया है। न्यायालय ने आगे पाया कि यह दिखाने के

लिए कोई स्वीकार्य सामग्री नहीं थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा गया था और उस संबंध में तर्क में योग्यता का अभाव था। अदालत ने यह भी पाया कि मौजूदा मामले में बंदी द्वारा दिए गए बयान और संबंधित मामले में बंदी द्वारा दिए गए बयान सहित सामग्रियों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट था कि हिरासत के आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। इस प्रकार, हिरासत के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि हिरासत का आदेश पारित होने से पहले राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दिया गया था। इसलिए, हिरासत के आदेश को चुनौती के समर्थन में उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की ओर से अनुरोध किया गया पहला आधार इस अपील में हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार को दिए गए अभ्यावेदन के संबंध में कि बंदी की ओर से उसकी मां द्वारा किया गया अभ्यावेदन एक वकील के माध्यम से गृह मंत्रालय में 4.7.2005 को प्रस्तुत किया गया था। चूँकि यह तमिल में था और इसे समझा नहीं जा सकता था, इसलिए इसे अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिए तमिलनाडु के कुड्डालोर

जिले के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया था। वह तो 5.7.2005 को ही कर दिया गया था. 13.7.2005 को एक अनुस्मारक भी भेजा गया था। अभ्यावेदन का अंग्रेजी अनुवाद 18.7.2005 को प्राप्त हुआ। इसे 19.7.2005 को अवर सचिव के समक्ष रखा गया। बंदी के मामले और अभ्यावेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और मामला 21.7.2005 को उप सचिव के समक्ष रखा गया। उप सचिव की टिप्पणियों के साथ इसे 21.7.2005 को ही संयुक्त सचिव के समक्ष रखा गया। संयुक्त सचिव द्वारा विचार करने के बाद उसी दिन इसे गृह मंत्रालय के विशेष सचिव को भेज दिया गया। संयुक्त सचिव द्वारा विचार के बाद विशेष सचिव. विशेष सचिव ने इस पर विचार करने के बाद 22.7.2005 को मामले को गृह सचिव के समक्ष रखा। गृह सचिव ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद 22.7.2005 को बंदी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया। निर्णय दिनांक 25.7.2005 को क्रैश वायरलेस संदेश के माध्यम से गृह सचिव, तमिलनाडु और अधीक्षक केंद्रीय कारागार, कुड्डालोर, तमिलनाडु के माध्यम से बंदी को सूचित किया गया था। इस शपथ पत्र के आलोक में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभ्यावेदन पर विचार करने में 13.7.2005 से 18.7.2005 तक अस्पष्टीकृत देरी हुई थी। भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान

वकील ने कहा कि चूंकि एक वकील के माध्यम से हिरासत के आदेश के काफी समय बाद प्राप्त अभ्यावेदन तमिल में था, अनुवाद प्राप्त होते ही उसे अग्रेषित कर दिया गया, अभ्यावेदन पर बिना किसी देरी के विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और उसका कानून के अनुसार निपटारा किया गया। मामले की परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से दिए गए अभ्यावेदन के निपटान में केंद्र सरकार की ओर से कोई अस्पष्ट देरी या अनुचित देरी नहीं हुई है, जो केवल 4.7.2005 को मंत्रालय को सौंप दिया गया था। इसलिए, हम अपीलकर्ता की ओर से इस संबंध में उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

6. सरकार द्वारा भरोसा किए गए सामग्रियों और पारित हिरासत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर उचित विचार करने पर, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। उस दृष्टि से, हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हिरासत का आदेश उचित नहीं था।

7. इस प्रकार, हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है और यह अपील खारिज की जाती है।

**Crl.A No.1675/2005 @ S.I.P.(Crl.) No. 4611/2005:**

8. अनुमति दी गई।

9. इस अपील में किसी विशेष या अलग तर्क का उल्लेख नहीं किया गया। अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका बंदी-बिलाल की मां दोलाथ बीवी द्वारा दायर की गई है। तथ्य और परिस्थितियाँ वही हैं जो ऊपर बताए गए अब्दुल कादर के मामले में हैं। दरअसल, तथ्य और कानून दोनों का सामान्य प्रश्न उठाया गया। यहां भी स्थिति समान है और तमिल में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मां द्वारा गृह मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दिया गया था और 4.7.2005 को एक वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और इसे भी उसी तरह से निपटाया गया जैसे अब्दुल कादर से संबंधित मामले में किया गया था। सामग्रियां भी समान हैं और इसी संदर्भ में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दलीलें सामान्य हैं और पिछली अपील में निपटाए गए तर्क अब्दुल कादर की हिरासत के आदेश के संबंध में पहले दर्ज किए गए हमारे निष्कर्ष के मामले को कवर करेंगे। केवल यह मानने की

आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा बंदी-बिलाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करना उचित था। उस दृष्टि से, हम 2005 की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 90 में उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

**<u>अस्वीकरण</u>** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।